	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 29, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 20, *2024* *Bhadra 29, Friday, Saka 1946- September 20, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 04, 2024

संख्या प. 2(33)वन/2024 :- चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि सरकार की सम्पति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है

और चूकि कि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है

और चूकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नही किया गया है

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का अधिनियम संख्या (13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 7 8 10 11 (1) 12 14 17 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर-भूमि को रक्षित वन घोषित करती है परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्त अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी

भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशु-पालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र सं	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा		विवरण
1	2	3	4	5		6
1	सदारण	भीम	राजसमन्द	उत्तर	सरहद ग्राम डुंगाजी का गांव एवं खातेदारी भूमिया	ग्राम सदारण पटवार सर्किल कुकर खेडा के खसरा नम्बर 1 क्षैत्रफल 694 बीघा 0 बीस्वा या 112.3406 हैक्टेयर
				दक्षिण	ग्राम सरहद ग्राम की खातेदारी भूमिया एवं वनखण्ड सुनार कुडी	
				पूर्व	ग्राम सदारण की खातेदारी एवं राजकीय भूमिया	
				पश्चिम	सरहद ग्राम पावटिया	

डॉ. ए. एन. गुप्ता,

उप वन संरक्षक,

वन्यजीव राजसमंद।

दितीय अनुसूची

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमंद।।

1- क्षेत्र में पाये जाने वाले पेडों की सूची:-

Sr. no.	Comman Name	Botanical Name
1	धोक	Anogeissus pendula
2	नीम	Azadirachta indica
3	कुमठा	Acacia senegal
4	देसी बबूल	Acacia nilotica
5	रोंझ	Acacia leucophloea
6	सलर	boswellia serrata
7	अग्रेजी बबुल	Prosopis juliflora
8	बेर	Ziziphus mauritiana
9	गूगल	Commiphora wightii
10	धावडा	Anogeissus latifolia
11	खैर	Acacia catechu
12	बरगद	Ficus benghalensis
13	पलाश (ढाक)	Butea monosperma
14	पीपल	Ficus religiosa

2- वृक्षारोपण कार्य पर लगाये गये वृक्ष/पेडों की सूची:-

Sr. no.	Comman Name	Botanical Name
1	बांस	Dendrocalamus strictus
2	बेर	Ziziphus mauritiana
3	नीम	Azadirachta indica
4	बरगद	Ficus benghalensis
5	खेर	Acacia catechu
6	चुरेल	Holoptelea integrifolia
7	देसी बबूल	Acacia nilotica
8	रोंझ	Acacia leucophloea
9	करंज	Millettia pinnata
10	सालर	Boswellia serrata
11	गूगल	Commiphora wightii
12	काला सिरस	Albizia lebbeck
13	जंगल जलेबी	Pithecellobium dulce
14	खेजड़ी	Prosopis cineraria
15	ईमली	Tamarindus indica
16	कुमठा	Acacia senegal
17	पलाश (ढाक)	Butea monosperma

18	रतनजोत	Jatropha curcas
19	गूलर	Ficus racemosa

डॉ. ए. एन. गुप्ता,
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव राजसमंद।

परिशिष्ट 'क'

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र

वनखण्ड सदारण

रेंज भीम

वन मण्डल वन्यजीव राजसमन्द

1 संलग्न प्रारूप में दर्षाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमषः गैर मुमकिन पहाड़/ गैर मुमकिन भाखर/ मगरा/गैर कृषि पायती हैं। चारागाह जिसे विज्ञप्ति के कालम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नंबरों का विवरण दर्षाया गया है।

2 वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों के वन विभाग दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य करना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षैत्र को आरक्षित/ रक्षित वन घोषित करने के लिये जिला कलक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3 वर्तमान में 100 हैक्टर प्लांटेशन एवं अन्य विकास कार्य वर्ष 2015-16 एवं 2021-22 में कराये गये है। इनमे कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।

4 भूमि पर वृक्षों का 0.5 घनत्व है । इस वनखण्ड मे प्रमुख प्रजातियों में देशी बबूल, विलायती बबूल, करंज, बांस, कुमठ, सीरस, सीसम, सालर, धोंक, नीम, बैर झाडी, गुगल, बड़, खैर आदि का लगभग 50 प्रतिशत है।

5 समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजकीय भूमि (राजस्व बंजर/ चरागाह/ खातेदारी/गैर काबिज काश्त भूमि है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कालम संख्या 5 में कर दिया गया है।

6 वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्षे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्षे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जी.टी.शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7 प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवष्यक है जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8 उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

डॉ. ए. एन. गुप्ता,
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव राजसमंद।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।